

संख्या-आई0टी0-नोटिस एवं कर निर्धारण माड्यूल /डीलर्स मार्किंग/2017-2018 1904/1718097 /वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(आई0टी0 अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: मार्च 16, 2018

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)
उत्तर प्रदेश।


उत्तर प्रदेश मूल्य संबंधित कर अधिनियम-2008 की धारा-28 के अन्तर्गत 50 लाख वार्षिक टर्नओवर से कम के व्यापारियों का कर निर्धारण कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा कर निर्धारण हेतु चयन के पश्चात किया जाना अपेक्षित है। इस हेतु वर्ष 2015-2016 के डीलर्स की टर्न ओवर मार्किंग करते हुए रु 50 लाख से कम एवं 50 लाख से अधिक की मार्किंग की जानी थी। मुख्यालय स्तर पर जोन वार समीक्षा में वर्ष 2015-2016 की टर्न आवेर मार्किंग की स्थिति निम्नवत पायी गयी :-

Marking Assessment Report (Zone Wise) for Assessment Year 2015-2016

Zone	Total Dealer	Turnover Marking			Total Unmarked
		Total marked	below 50 Lakh	Above 50 Lakh	
Agra	27241	17950	9291	13613	4322
Aligarh	35667	18299	17368	12557	5723
Allahabad	31460	21530	9930	18132	3340
Bareilly	30806	21195	9611	15818	5341
Etawah	27270	14073	13198	10331	3718
Faizabad	39755	23572	16183	18517	5019
Gautambudha Nagar	22976	17081	5896	9446	7627
Ghaziabad I	25398	11703	13692	8606	3077
Ghaziabad II	19710	14465	5248	9938	4467
Gorakhpur	42524	32969	9555	26987	5967
Jhansi	28295	17168	11127	14075	2750
Kanpur I	20867	18601	2268	13487	5108
Kanpur II	23862	16636	7224	12514	4100
Lucknow I	36383	26536	9850	19995	6332
Lucknow II	33146	25355	7787	21617	3711
Meerut	25027	13388	11636	10868	2513
Moradabad	41281	27103	14178	20876	6191
Saharanpur	27771	17344	10430	13133	4189
Varanasi I	26516	18696	7820	13648	5032
Varanasi II	44907	28555	16352	23249	5153
Total	610862	402219	208644	307407	93680

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा भी तक वर्ष 2015-2016 के 93680 व्यापारियों की टर्न ओवर मार्किंग नहीं की गयी है। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है वर्ष 2015-2016 की टर्न ओवर मार्किंग का कार्य बिलम्बतम दिनांक 30-04-2018 तक अवश्य पूर्ण कर लिया जाये। मार्किंग न होने के कारण यदि किसी व्यापारी का चयन कर निर्धारण हेतु नहीं हो पाता है तो सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को उत्तरदायी मानते हुए कार्यवाही की जायेगी एवं मार्किंग की तिथि आगे नहीं बढ़ायी जायेगी।


(कामिनी चौहान रतन)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।